संख्या 262/2020/4174/41-2020-02(वि0आ0)/2018

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3709/15-1-1668/ट्रे0ट्रे0/2020, दिनांक 05.11.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन** के मानक मद-**20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)** के मद में हो रही बचत से लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**15-अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन** के मानक मद-**42-अन्य व्यय** मद में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 1/2020बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च 2020, शासनादेश सं0 4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दि0 07 अप्रैल 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अतर्गत ही सुनिश्चत किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जाएगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार, इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-आर0ई0-110/दस-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव ।

संख्या-262/2020/4174(1)/41-2020-02(वि0आ0)/2018 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि रूपये लाख मे)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी मद	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	5000.00	400.00	400.00	4600.00	**3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-15-अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन -42-अन्य व्यय**	200.00	600.00	400.00	400.00	600.00
योग	5000.00	5000.00	400.00	400.00	4600.00	**योग**	200.00	600.00	400.00	400.00	600.00

नोट-1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत इकाईयों को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष रू0 400.00 लाख की बचत सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण- आलोच्य वर्ष में 15-अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन हेतु उपलब्ध प्रावधान रू0 200.00 लाख अपर्याप्त होने एवं आयोजन में Intelligent Lighting Creativ Setup, Event Supply, Thematic Gate, Fire Cracker **एवं** Projection Mapping **के व्यय को अतिरिक्त रूप से वहन किए जाने के कारण रू0 400.00 लाख की और आवश्यकता है। 3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।**

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव,
पर्यटन विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-आर0ई0-110/दस-2020 दिनांक 11 नवम्बर 2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)

अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-262/2020/4174(1)/41-2020-02(वि0आ0)/2018 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, वितीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)

अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।